न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 8 सन 2020

अनवान :–

1. हुनाराम पुत्र हरभज जाति छिम्पा साकिन बडविराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्रीविजयसिह कडवासरा अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 3/9/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 की कुल 7.7140हैक मे से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हुणता पुत्र हरभान दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हुणता पुत्र हरभान दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हुनाराम पुत्र हरभज है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम हुनाराम पुत्र हरभज दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि जो वर्तमान में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हुणता पुत्र हरभान के स्थान पर हुनाराम पुत्र हरभज संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 की कुल 7.7140हैक मे से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हुणता पुत्र हरभान दर्ज है।

Scanned with CamScanner

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हुणता पुत्र हरभान दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हुनाराम पुत्र हरभज है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम हुनाराम पुत्र हरमज दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 की कुल 7.7140हैक्ट मे से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हुणता पुत्र हरभान दर्ज है। । प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम हुनाराम पुत्र हरभज है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम हुनाराम पुत्र हरभज दर्ज है प्रार्थी का सही नाम हुनाराम पुत्र हरभज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों वएवं पेरोकार राज को ऐतराज पेश नही करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 की कुल 7.7140हैक्ट मे से 1/5 हिस्सा भूमि में अंकित प्रार्थी का नाम हुणता पुत्र हरभान के स्थान पर हुनाराम उर्फ हुणता पुत्र हरभज संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 3/9/२०२० को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/1366 RA/8 दिनांक :- 7.9.20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 8/2020 अनवानी हुनाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :- अनवान :-

1. हुनाराम पुत्र हरभज जाति छिम्पा साकिन बडविराना तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 8/2020 अनवानी हुनाराम बनाम सरकार में दिनांक 03/9/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 की कुल 7.7140हैक मे से 1/5 हिस्सा भूमि में अंकित प्रार्थी का नाम हुणता पुत्र हरभान के स्थान पर हुनाराम उर्फ हुणता पुत्र हरभज संशोधन किया जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner